विज्ञान में शोध पत्रों की चोरी

गीता चड्ढा

"इस पृष्ठ पर सैद्धांतिक भौतिकी में शोध पत्र की चोरी की एक हैरतअंगेज़ घटना का विवरण दिया जा रहा है। इस घटना में एक उच्च पदस्थ भारतीय वैज्ञानिक और उसका एक छात्र शामिल हैं। यदि आप भारतीय विज्ञान से सरोकार रखते हैं या भारत में विज्ञान का काम करते हैं तो इस पृष्ठ की सामग्री को देखकर अपना मत बनाइए और उसे ज़ाहिर कीजिए। यहां हमने तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की है, जिससे यह साबित हो जाता है कि शोधपत्र की चोरी की गई है। इस चोरी में शामिल लोगों की पहचान भी स्पष्ट है। यह पृष्ठ इस उम्मीद में बनाया गया है कि इस लज्जाजनक कृत्य में लिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। इन लोगों की करतूत भारत में विज्ञान के हितों व प्रतिष्ठा के लिए गंभीर खतरा है।"
(फिजिक्स प्लेजिएरिज़्म एलर्ट)

यह वक्तव्य फिजिक्स प्लेजिएरिज़्म एलर्ट नामक एक वेबसाइट(http://geocities.com/physicsplagiarism) से लिया गया है। यह वेबासाइट भारत के दो अग्रणी वैज्ञानिकों - हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के अशोक सेन और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च के सुनील मुखी ने स्थापित की है। अशोक सेन और सुनील मुखी देश के दो महत्वपूर्ण कण-भौतिक शास्त्री हैं। इस वेबसाइट को देश के अन्य 20 वैज्ञानिकों का समर्थन प्राप्त है। ऊपर उद्धरित पर्चा तब लिखा गया था जब कुमाऊं विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग की अध्यक्ष कविता पाण्डे ने एक 'स्कैण्डल' उजागर किया था। इस स्कैण्डल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के उपकुलपति बी.एस. राजपूत और एक छात्र सुरेशचंद्र जोशी शामिल थे।

वेबसाइट और मीडिया खबरों ने इस मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखे हैं और वैज्ञानिक समुदाय के मत भी सामने आए हैं। कई वैज्ञानिकों ने तमाम सरकारी संस्थाओं को पत्र लिखकर मांग की है कि अकादमिक भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। स्टेन्फर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को भी इस सम्बंध में पत्र लिखा है।

घटनाक्रम

मई 2002 में बी.एस. राजपूत के शोध छात्र सुरेशचंद्र जोशी ने सार्वजनिक रूप से घोषित किया था कि उसे अब्दुस सलाम अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र, ट्रिएस्ट, इटली द्वारा वर्ष 2002 के अब्दुस सलाम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह भी कहा गया कि यह पुरस्कार उसे 'स्ट्रिंग सिद्धांत व ब्लैक होल्स' पर उसकी डॉक्टरेट थिसीस के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार की जानकारी स्थानीय अखबारों में भी छपी थी। और उसके थिसीस निर्देशक बी.एस. राजपूत ने विश्वविद्यालय के बुलेटिन में 'बधाई संदेश' भी छपवा दिया था। सुरेशचंद्र जोशी एक पखवाड़े के लिए ट्रिएस्ट (इटली) गया भी। मगर मई में पुरस्कार की घोषणा के बाद जो कुछ हुआ उसकी तहकीकात अब मीडिया में चल रही है। मई में जोशी के पुरस्कार की बात सुनकर विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग की अध्यक्ष कविता पाण्डे ने विस्तृत जानकारी मांगी।

जोशी ने वह पत्र प्रस्तुत किया जो कथित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र से आया था। इस पत्र पर केंद्र के उच्च ऊर्जा भौतिकी विभाग के अध्यक्ष रैण्डीबार-डेमी के हस्ताक्षर थे। कविता पाण्डे ने खोजबीन की तो पता चला कि यह पत्र जाली था। रैण्डीबार-डेमी के मुताबिक केंद्र ने जोशी को स्ट्रिंग सिद्धांत की एक कार्यशाला में आमंत्रित भर किया था। इस तथ्य के सामने आने के बाद राजपूत के दल द्वारा प्रकाशित शोधपत्रों की छानबीन शुरू हुई। पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में इस समूह ने कई शोधपत्रों की चोरी करके उन्हें अपने नाम से छपवाया है। पाया गया कि जोशी व राजपूत का एक ताज़ा शोध पत्र तो स्टैन्फर्ड की भौतिकशास्त्री रेनाटा कैलोश के 1996 में प्रकाशित एक शोधपत्र की लगभग अक्षरशः नकल था।

कैलोश का कहना है कि वैसे तो राजपूत व जोशी व अन्य सहकर्मी कई बरसों से शोधपत्र चोरी में लिप्त रहे हैं मगर प्रारंभिक वर्षों में वे इतनी सतर्कता बरतते थे कि चोरी साफ ज़ाहिर न हो। ऐसे कई चोरी के शोध पत्र छपवाने में मिली सफलता से जोश में आकर उन्होंने सोचा कि इतना समय बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। लिहाज़ा उन्होंने कैलोश का पर्चा तो पूरा का पूरा ही उतार लिया। वैसे कैलोश का यह भी कहना है कि "एक आदर्श परिस्थिति में समकक्ष लोगों द्वारा समीक्षा के दौरान चोरी फौरन पकड़ी जाती।" कैलोश ने चोरी करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए सख्त सज़ा देने की मांग की है। कैलोश यह तो मानती हैं कि इस पूरे प्रकरण से समीक्षा प्रक्रिया पर सवाल ज़रूर खड़े होते हैं मगर उनका कहना है कि यह चोरों की चतुराई का ही उदाहरण है। वे नहीं मानतीं कि यह परिणाम-आधारित तंत्र का दोष है। शायद यह दोनों का मिला-जुला परिणाम है। इसलिए दोषियों को दण्डित करने के साथ-साथ विज्ञान-कर्म की संस्कृति पर भी विचार करना ज़रूरी है।

वैज्ञानिकों को इस बात पर काफी गर्व है कि विभिन्न वैज्ञानिक शोध पत्रिकाएं समीक्षा की जो प्रक्रिया अपनाती हैं, उसमें वस्तुनिष्ठता होती है। कारण यह है कि शोध परिणामों को प्रकाशित करना मात्र जानकारी के प्रसार का एक साधन नहीं है, बल्कि इससे यह भी फैसला होता है कि किस जानकारी को विश्वसनीयता प्राप्त होगी। वैज्ञानिक समुदाय आम तौर पर मात्र प्रकाशित परिणामों को ही गंभीरता से लेता है। यदि प्रकाशन की प्रक्रिया में कोई दोष है तो वह वैज्ञानिक परिणामों की विश्वसनीयता को ही संदेह के दायरे में ला देगा। इसलिए किसी भी वैज्ञानिक के लिए अपने शोध परिणामों को प्रतिष्ठित प्रक्रिया से लैस पत्रिका में प्रकाशित करवाना कैरियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वैज्ञानिक जगत एक ऐसा समुदाय है जहां कार्य का आकलन खासा मुश्किल है; इसलिए प्रकाशित शोध पत्र आकलन का एक अहम व वस्तुनिष्ठ आधार बन जाते हैं। इसके अलावा, यदि किसी शोध पत्र में लेखकों का पता भारत का हो, तो अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में उसे पर्याप्त तवज्जो नहीं मिलती। अधिकांश भारतीय वैज्ञानिक, यहां तक कि प्रतिष्ठित संस्थानों के वैज्ञानिक भी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अपने शोध पत्र छपवाने में कठिनाई महसूस करते हैं। दूसरी ओर, किसी दोयम दर्जे की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित पर्चा भी भारत के विश्वविद्यालयों में बहुत अहमियत पाता है। अधिकांश वैज्ञानिकों के लिए पदोन्नति वगैरह में इन प्रकाशनों तथा सेमीनार वगैरह में प्रस्तुतिकरण का बहुत महत्व होता है। ज़ाहिर है कि वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन सत्ता के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों व उनसे सम्बद्ध मशीनरी के माध्यम से होता है।

इसके अलावा, युवा शोध वैज्ञानिकों के लिए कैरियर में आगे बढ़ने के लिए शोध पत्र प्रकाशित करने का बहुत दबाव होता है। उससे भी ज़्यादा दबाव वरिष्ठ वैज्ञानिकों पर होता है क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनें के लिए प्रकाशन करना होता है। राजपूत ने अपने बचाव में जो कहा है उससे यही बात उभरती है। राजपूत का कहना है कि इतनी अकादमिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक और शोध पत्र में उसका नाम आए। लिहाज़ा वह क्यों किसी अनैतिक तौर-तरीके का उपयोग करेगा। उसके जवाब से आशय यह निकलता है कि युवावस्था में अनैतिक तौर-तरीके उचित हैं। यह मानसिकता ताकतवर पदों पर बैठे हिन्दुस्तानियों में आम तौर पर देखी जा सकती है। यह उन नैतिक मापदण्डों की धज्जियां उड़ा देती है जो वैज्ञानिकों ने स्थापित किए हैं।

जोशी-राजपूत प्रकरण उस नैतिक आचार संहिता की क्षति का प्रतीक है जो विज्ञान की आत्म परिभाषा में अंतरंग रूप से निहित है। यह क्षति उस संस्कृति का परिणाम है जिसमें शोधपत्रों का प्रकाशन और ज़िन्दा रहना पर्यायवाची हैं। विज्ञान की यह संस्कृति तीसरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए दोहरी समस्या है और यह ज़रूरी है कि विज्ञान जगत इस पर विचार करे। दोषियों को सज़ा की मांग करना अनिवार्य पहला कदम है मगर इतना पर्याप्त नहीं है।

गौरतलब है कि इस प्रकरण में वैज्ञानिक समुदाय ने राज्य से अपील की है कि दोषियों को सज़ा दी जाए। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष एम.एस. वलियाथन के मुताबिक इस तरह का अकादमिक भ्रष्टाचार

वैज्ञानिक समुदाय में व्याप्त है मगर पश्चिम की अपेक्षा भारत में ज़्यादा है। इस समस्या से निपटने के लिए अतीत में भी अकादमी इस तरह के आचरण की निंदा से अधिक कुछ नहीं कर पाई है। "अकादमी मात्र निंदा कर सकती है और अपनी पत्रिकाओं में कुछ वर्षों तक सम्बंधित वैज्ञानिक के शोधपत्रों के प्रकाशन पर रोक लगा सकती है।"

यह भी गौरतलब है कि वर्तमान प्रकरण में एक विश्वविद्यालय के उपकुलपति के शामिल होने की वजह से ही वैज्ञानिक समुदाय देश के सर्वोच्च अधिकारियों से कार्यवाही की अपील कर पाया है। मगर यदि किसी युवा वैज्ञानिक का मामला होता, तो यह अपील किससे की जाती? या क्या इसे अनदेखा कर दिया जाता कि इससे वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिष्ठा पर कोई खास आंच नहीं आती? वैज्ञानिक समुदाय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वह इस तरह के अकादमिक भ्रष्टाचार को रोकने के व्यवस्थित तरीके व साधन बनाने में असफल रहा है। जोशी-राजपूत प्रकरण से लगता है कि वैज्ञानिक समुदाय ऐसे भ्रष्टाचार से निपटने को तभी उठ खड़ा होता है जब या तो पुरस्कार बहुत ऊंचे किस्म का हो या उसमें उच्च स्तर के व्यक्ति शामिल हों।

दरअसल जोशी-राजपूत प्रकरण न सिर्फ विज्ञान बल्कि पूरे अकादमिक समुदाय की समस्या का प्रतिबिम्ब है। मुद्दा है - अकादमिक संस्थानों में सत्ता का दुरुपयोग। इस प्रकरण में यह तीन अलग-अलग स्तरों पर नज़र आता है। पहला - जैसे ही कविता पाण्डे ने अपनी तहकीकात के निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से ज़ाहिर किए उसे निलंबित कर दिया गया। उस पर छात्रों को भड़काने से लेकर वित्तीय अनियमितताओं तक के आरोप लगाए गए। स्पष्ट है कि पाण्डे द्वारा तथ्यों को सार्वजनिक करने तथा उसके निलंबन के बीच सीधा सम्बंध है। यह सम्बंध इतना स्पष्ट है कि स्टैन्फर्ड विश्वविद्यालय के पत्र में भी भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस मामले पर ध्यान दे।

दूसरा - उपकुलपति राजपूत का कहना है कि उक्त शोध पत्र में उसका नाम उसके छात्र जोशी ने जोड़ दिया है जबकि उसे (राजपूत) तो यह पता तक नहीं था कि शोध पत्र में क्या है। शोध पत्र के संयुक्त लेखकों में से एक का यह कहना कि वह शोधपत्र की विषयवस्तु से पूरी तरह अनभिज्ञ था, अत्यंत हैरानी की बात है। और उससे भी बुरी बात तो यह है कि राजपूत इस शोध का मार्गदर्शक है। यदि राजपूत मानता है कि उसके इस 'बचाव' को अकादमिक समुदाय सामान्य छात्र-मार्गदर्शक सम्बंध के नाम पर स्वीकार कर लेगा, तो इससे यह पता चलता है कि हमारे संस्थानों में मापदण्ड रसातल में पहुंच चुके हैं।

तीसरा - जब अंतर्राष्ट्रीय सैद्धान्तिक भौतिकी केंद्र से पूछा गया कि चोरी के आरोप के बावजूद जोशी को केंद्र में आमंत्रित क्यों किया जा रहा है, तो केंद्र के एक व्यक्ति नारायण का कहना था, "इसलिए कि हम नहीं जानते कि कहीं युवा वैज्ञानिक होने के नाते जोशी पर उसका सुपरवाइज़र तो इस भ्रष्ट आचरण का दबाव नहीं डाल रहा है।" यह भी स्पष्ट दर्शाता है कि अकादमिक विश्व में सत्ता का किस कदर दुरुपयोग होता है।

हालांकि इस मामले में भारतीय वैज्ञानिकों की पहल और उन्हें मिला अंतर्राष्ट्रीय समर्थन सराहनीय है मगर उन्होंने मात्र शोध पत्र चोरी के प्रमाण उपलब्ध करवाकर कार्यवाही का फैसला उचित अधिकारियों पर छोड़ दिया है। यह फैसला भी उन्होंने अधिकारियों पर छोड़ दिया है कि दोषी कौन है। यह भी एक रोचक बात है कि वेबसाइट 'फिज़िक्स प्लेजिएरिज़्म एलर्ट' मात्र भौतिक शास्त्रियों से मुखातिब है। इसे देश के व्यापक अकादमिक समुदाय का समर्थन प्राप्त नहीं है। चूंकि इस मामले में दोषी व्यक्ति एक विश्वविद्यालय का उपकुलपति है और यह समस्या लगभग सभी अकादमिक लोगों को झेलना पड़ती है इसलिए व्यापक अकादमिक समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना मुश्किल नहीं होगा। जोशी-राजपूत प्रकरण पर अकादमिक विश्व के एक बड़े तबके की प्रतिक्रिया न होने से पता चलता है कि भारत में वैज्ञानिक समुदाय कितना अलग-थलग है। दरअसल इस प्रकरण से समूचे विश्व के विज्ञान जगत के सामने सवाल खड़े हुए हैं। जैसा कि यूरोफिजिक्स लेटर्स के प्रमुख संपादक हाइनर म्यूलर क्रम्बहार ने अपनी पत्रिका की समीक्षा प्रक्रिया की खामी पर क्षमा याचना करते हुए कहा है, "शोधपत्र की यह चोरी स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक समुदाय की विश्वसनीयता को खतरे में डाल सकती है।" ***(स्रोत फीचर्स)***